संख्या- 52/1317/बयालिस-2015-88(विविध)/2012

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2015**

विषय :- राजभवन परिसर स्थित सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के वार्षिक/विशेष रख-रखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 165/सी0एस0आई0 पत्रा0/2014-15, दिनांक 27 मई, 2015 के सन्दर्भ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 434/बयालिस-2014-88(विविध)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2014 द्वारा राज भवन परीसर स्थित सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू0 74.30 लाख के स्थान पर जिम स्पा, बिलियर्ड एवं स्वीमिंग के रख-रखाव एवं संचालन हेतु इन्स्टीट्यूट के पास धनराशि उपलब्ध होने के कारण रू0 56.04 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(2)- प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2006 के आलोक में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3)- कार्यों को पूर्व गुणवत्ता/मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट, राजभवन कम्पाउण्ड, लखनऊ/निदेशक, खेल का होगा।

(4)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों हेतु मानकानुसार निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

(5)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत मुख्यत: उपकरणों, ओजोन जनेरटर, बूस्टर पम्प व मूविंग रोलर आदि का क्रय किया जाना है। अतएवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत इनका क्रय किया जाय।

(8)- शासनादेश संख्या- 434/बयालिस-2014-88(विविध)/2012, दिनांक 29 मार्च, 2014 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीया,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 52/1317(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- सचिव, सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट राजभवन कम्पाउण्ड, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पो0 लि0 लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in